न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हीरालाल गोदपुत्र नेनाराम जाति कुम्हार निवासी अटबडा तहसील सोजत		1 दाखु पत्नी चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी हाल कुम्हारों का बास, चण्डावल नगर, तहसील सोजत 2 सुखाराम पुत्र अनाराम जाति कुम्हार निवासी अटबडा तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र सोनी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 1/2/18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2009 दाखु बनाम हीराराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने पिता नेनाराम की खातेदारी भूमि ग्राम अटबडा के खसरा नम्बर 216, 227, 276, 279, 418, 428, 431, 504, 3751 व 4058 कुल खसरा 10 जिसका कुल रकबा 6.16 हैटेयर एवं खसरा नम्बर 436, 621/4583 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर की भूमि की खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में अपीलाण्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उपरोक्त आराजीयात में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/2 – 1/2 हक हिस्सा विहित है। नेनाराम के कोई पुत्र नहीं होने के कारण नेनाराम व उनकी पत्नि अणचीदेवी ने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को गोद लिया था तथा माफिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सामाजिक जाति रिती रिवाज के अनुसार गोद की रस्में अदा की गई थी। तब से लेकर वर्तमान तक अपीलाण्ट बतौर गोदीपुत्र नेनाराम व उनकी पत्नि अणचीदेवी के साथ रहा एवं उनकी सेवा आदि की। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के दस्तावेजात् में भी अपीलाण्ट के पिता का नाम नेनाराम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं उसके पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत होने के बावजूद भी अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत कैम्प अटबडा में जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। इस भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम नामान्तरकरण दायर करवा लिया, जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अपीलाण्ट अनपढ किसान है, जिसे कानूनी जानकारी नहीं है। उक्त भूमि पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अपीलाण्ट को जेर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 01.02.2016 को हुई, जिसके पश्चात दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतिलिपी आदि प्राप्त करने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम कीं धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी की सहमति के कोर्ट कैम्प अटबडा में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उन पर किसी प्रकार का गौर ही नहीं किया एवं न ही प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं वादी के गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है, क्योंकि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 में पारित हुई, जिसके लगभग 9 माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर है। जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता नेनाराम की खातेदारी भूमि है। इस भूमि का नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट द्वारा स्वयं के नाम दायर करवा लिया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरक्रण के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में निर्णित हुई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील दायर करवाई, जो खारिज हुई। उक्त दोनों ही न्यायालयों द्वारा अपीलाण्ट को गोदीपुत्र नहीं माना। इसके पश्चात अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जो खारिज हुई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया, वहां भी अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया। वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के माता पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को कभी भी गोद नहीं लिया तथा न ही गोद की कोई रस्म अदा की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही नेनाराम की एकमात्र जायन्दा पुत्री है, इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा भी स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निर्मित तनकीयात का विनिश्चय करते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प अटबडा में अपीलाण्ट की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट स्वयं को अनपढ होना बताते है, जबकि इस भूमि को लेकर जितनें भी प्रकरण दायर हुए निस्तारित हुए है, उनमें आगे से आगे अपील कर रहे है, जिससे साबित होता है कि अपीलाण्ट को कानून की पूर्ण जानकारी है। जैर अपील निर्णय अपीलाण्ट की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी अपीलाण्ट को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद निर्णय पारित होने के लगभग 9 माह की अवधि के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है एवं देरी को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नहीं किया है। इस कारण अपील म्याद बाहर होने के कारण भी स्वीकार योग्य नहीं रहती है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 134, डी0एन0जे0 (राज.) 1998 पेज 678, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 124, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1252, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 938, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1088, डी0एन0जे0 (राज.) 1996 पेज 738 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं को स्व0 नेनाराम की एकमात्र जायन्दा पुत्री होना बताते हुए नेनाराम की खातेदारी भूमि ग्राम अटबडा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सोजत के खसरा नम्बर 216, 227, 276, 279, 418, 428, 431, 504, 3751 व 4058 कुल खसरा 10 जिसका कुल रकबा 6.16 हैटेयर एवं खसरा नम्बर 436, 621/4583 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर की भूमि की खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही यह भी कथन किया कि हीराराम जो वादीया के चाचा भूराराम का पुत्र है, ने स्वयं को गोदीपुत्र बताते हुए उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकण संख्या 39 के स्वयं के नाम दर्ज करवा दी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जो अपील संख्या 90/2000 दाखु बनाम हीराराम दर्ज होकर दिनांक 15.10.2000 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित हुई, जिसमें हीराराम को न्यायालय द्वारा गोदीपुत्र नहीं माना। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हीराराम ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 35/2003 दर्ज होकर दिनांक 23.08.2004 को निर्णित हुई, जिसमें हीराराम की अपील खारिज की गई एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा गया। इस निर्णय के विरूद्ध हीराराम द्वारा निगरानी याचिका माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रस्तुत की, जो दिनांक 01.09.2008 को खारिज हुई। इस निर्णय के विरूद्ध हीराराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जो विचाराधीन होना जाहिर किया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 4/2008 दाखू वगैरा बनाम हीराराम में दिनांक 03.02.2009 को निर्णय पारित करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची वर्ग एक की उत्तराधिकारी जायन्दा पुत्री स्वयं दाखू देवी होने एवं अप्रार्थी कहीं संस्थित नहीं रहने से मृतक नेनाराम की पुत्री दाखु देवी के नाम से नामान्तरकरण नये सिरे से दर्ज करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 2136 दिनांक 24.02.2009 के द्वारा नेनाराम पुत्र मेगाराम के स्थान पर दाखुदेवी पुत्री नेनाराम का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें भी उन्होने यही तथ्य प्रस्तुत किए कि अपीलाण्ट नेनाराम का गोदीपुत्र है तथा बतौर गोदीपुत्र उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा जो निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित किए है, उनके सम्बन्ध में रिट याचिका विचाराधीन होना जाहिर किया एवं साथ ही तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 4/2008 में पारित आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। सम्पूर्ण दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा विभिन्न न्यायालयों में स्वयं को नेनाराम का गोदी पुत्र होना बताया, किन्तु गोदनामा बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उनमें से प्रथम तनकी वादीया को साबित करनी थी, जिसमें वादीया को यह साबित किया जाना था कि वादीया नेनाराम की एक मात्र सन्तान होने के कारण उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है ? अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसके पेज संख्या 3 के चरण संख्या 2 में यह अंकित किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादीया को अपनी बहिन एवं नेनाराम व अणची की पुत्री सम्बोधित किया है एवं कहीं भी वादीया को नेनाराम की पुत्री होना नकारा नहीं है। इससे यह साबित होता है कि नेनाराम के एकमात्र जायन्दा पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दाखुदेवी ही थी। इस कारण तनकी संख्या 1 बहक वादीया विनिश्चित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो गोदनामा परीक्षित हुआ है, वह मात्र एक कागज पर लिखित है, जिस पर न तो गोद लेने वाले के हस्ताक्षर है एवं न ही गोद देने वाले के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना है कि इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क समर्थन योग्य है। विधि अनुसार गोदनामा में गोद देने वाले एवं गोद लेने वाले की सहमति आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज परीक्षित नहीं हुआ, जिससे यह साबित होता हो कि नेनाराम एवं अपीलाण्ट के प्राकृतिक पिता भूराराम द्वारा अपीलाण्ट को गोद लेने/देने बाबत कोई कार्यवाही की हो। इन तथ्यों के अतिरिक्त अपीलाण्ट अधिवक्ता का यह भी कथन रहा कि जैर अपील निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया, जिसका अपीलाण्ट को परिज्ञान नहीं था। इस तथ्य का पुनःपरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से करने पर यह तथ्य सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.05.2015 पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की उपस्थिति का पुख्ता प्रमाण है, जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी डिक्री पारित होने की दिनांक से ही रही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के पेज संख्या 4 के बिन्दु संख्या 5 में यह अंकित किया कि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 01.02.2016 को हुई, जिसकी प्रतिलिपी दिनांक 02.03.2013 को अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को अपील प्रस्तुत की गई, अतः दिनांक 29.05.2015 से 01.02.2016 की अवधि को कण्डोन करने का निवेदन किया एवं इन कथनों के समर्थन में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में व्यवस्था प्रदान की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 134 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम ब्रजलाल प्रभूदयाल व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Limitation Act, 1963- Sec. 5- Condonation of delay - Delay of 83 days in filling appeal-- Objection that appellant was not duly represented in trial Court is unfounded-- Sufficient cause for condonation of delay not shown- file requires to be routed from so many channels is no sufficient cause- Held, Appeal is time barred & dismissed " इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 1998 पेज 678 में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "Limitation Act, 1963- Sec. 5- Condonation of delay - Delay of 9 months not condoned by Board of Revenue - No reasonable ground of delay was shown- Held, The appellant had not come with clean hends and has made false statements- Not entitled for condonation of delay" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है, क्योंकि इस प्रकरण में भी अपीलाण्ट द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर देरी को कण्डोन करने का अनुतोष चाहा है, जबकि पत्रावली पर जो तथ्य उपलब्ध है, वे अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन नहीं करते है। इस कारण अपीलाण्ट इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। इनके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 124, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1252, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 938, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1088, डी0एन0जे0 (राज.) 1996 पेज 738 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त भी हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य पाई जाती है एवं इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए, तो भी अपीलाण्ट किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार के तथ्यों एवं विधि की त्रुटी नहीं होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2009 दाखु बनाम हीराराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली